प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.09.23

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा नाजायज अफीम की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम नाजायज अफीम (कीमत करीब 40 लाख रु0) व तस्करी मे प्रयुक्त 01 कार बरामद

दिनांकः 08/09/2023 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर के शास्त्री नगर चौराहे के पास से 01 अन्तर्राज्यीय अफीम तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है, जिसके कब्जे से झारखण्ड से तस्करी कर लायी गयी 01 किलो 500 ग्राम नाजायज अफीम, व तस्करी में उपयोग की गयी गाडी होण्डा सिटी रजि0न0- DL3CBM0227 बरामद हुई। बरामद अफीम 01 किलो 500 ग्राम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 40 लाख रुपये है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त मौ0 उमर ने बताया कि साहब मै पहले कपडे की दुकान चलाता था परन्तु उस काम से अपने घर का खर्च नही चला पाने के कारण कुछ मादक पदार्थ विक्रेताओ के सम्पर्क में आया और उनके साथ मिलकर मैने मादक पदार्थो की बिक्री का काम शुरू कर दिया। जब मुझे इसमें अधिक मुनाफा होने लगा तो मै इसी काम को पूरे तरीके से करने लगा तथा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच मे खुद ही यह अफीम कम दामों पर झारखण्ड से बस व ट्रेन के माध्यम से लाने लगा आते समय मैं माल को अपने पैरो पर व कमर पर टेप से चिपका कर बांध लेता हूं जिससे पकडा ना जाऊं तथा माल को झारखण्ड से लाते समय मैं मोबाइल का उपयोग नही करता हूं ना ही साथ लेकर जाता हूं तथा माल लाने के बाद मैं ऊंचे दामों पर दिल्ली व एन0सी0आर0 के क्षेत्रो में पहले से तयशुदा स्थान व समय पर सप्लाई कर देता हूं इससे मिलने वाले मुनाफे से अपने परिवार का खर्चा व अपने निजी शौक पूरे करता हूं आज भी यह अफीम में दिल्ली में सप्लाई करने जा रहा था कि आपने पकड लिया।

अभियुक्त से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- मौ0 उमर पुत्र अहमद हुसैन नि0 मकान न0- 147 निकट चांद मस्जिद एजाज नगर थाना बारादरी जनपद बरेली

1. **अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण** –

1.अफीम नाजायज – 01 किलो 500 ग्राम व तस्करी में उपयोग की गयी कार होण्डा सिटी रजि0 न0 DL3CBM0227

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर में एक अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीला मोड पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर घटना से सम्बन्धित चाकू बरामद

दिनांक 08.09.2023 को थाना टीला मोड क्षेत्र के गाव निस्तौली से वादी श्री महेन्द्र पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड़ गाजियाबाद की तहरीर सूचना के आधार पर थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त जोगिन्द्र उर्फ योगेन्द्र उपरोक्त भारत सिटी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसमे अभियुक्त जोगिन्द्र उर्फ योगेन्द्र उपरोक्त की निशादेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

जोगिन्द्र उर्फ योगेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम निस्तौली थाना टीला मोड़ गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त एक चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा भूमाफिया अभियुक्त महबूब अली की अवैध कार्यो से अर्जित जनपद बदायू स्थित 38 करोड रु0 कीमत की सम्पत्ति सीज करने के सम्बंध में।

दिनांक 08.09.2023 को मु0अ0सं0 488/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त महबूब अली पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव पावी थाना ट्रॉनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद जो एक खूंखार अपराधी तथा भूमाफिया है जिसके खिलाफ दो दर्जन मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं इसकी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 91 करोड़ रु0 कीमत की संपत्ति की विभिन्न जिलों में सीजर की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 08.09.2023 को जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज स्थित ग्राम सूरजपुर पुस्ता परगना सलेमपुर की लगभग 38 करोड रु0 कीमत की संपत्ति के नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है।

ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा गैंगस्टर अपराधी जितेन्द्र उर्फ जीतू व उसके अन्य साथी विजय कुमार उर्फ डालू की अवैध कार्यों से अर्जित की गयी लगभग 06 करोड़ रुपये की चल व अचल सम्पत्ति गैंगस्टर अधिनियम की 14(1) के अन्तर्गत कुर्क की गयी।

दिनांक 08.09.23 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर अपराधी जितेन्द्र उर्फ जीतू बंसल पुत्र धन्ने बंसल उर्फ धनपाल निवासी म0नं0 216/1 डॉक्टर सिंघल के बराबर गली में गिरि मार्केट दिल्ली सहारनपुर रोड थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद व उसके अन्य साथी विजय कुमार उर्फ डालू पुत्र मांगेराम निवासी 60 फुटा रोड आर्यनगर, अग्रवाल शिव मन्दिर, लोनी देहात गाजियाबाद की अवैध कार्यों से अर्जित की गयी 06 अचल सम्पत्तियां जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रू0 05.50 करोड़ व 05 चल सम्पत्तियां कीमत करीब 54 लाख रुपये है, को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था। पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 09.09.23 को ग्रामीण जोन पुलिस द्वारा उक्त गैंगस्टर अपराधी जितेन्द्र उर्फ जीतू व उसके साथी विजय कुमार उर्फ डालू की अवैध कार्यों से अर्जित की गयी जनपद गाजियाबाद में स्थित 06 अचल सम्पत्तियां कीमत लगभग 05.50 करोड़ रुपयें व 02 चल सम्पत्ति कार स्कार्पियों व महिन्द्रा थार कीमत करीब 34 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया।

<u>कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-</u>

1. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का ग्राम अहमदनगर नवादा स्थित आवासीय प्लाट 110 वर्ग गज कीमत करीब 01.15 करोड रुपये,

2. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का नया बाजार लोनी स्थित आवासीय / व्यवसायिक भवन 50 वर्ग गज कीमत करीब 01.15 करोड रुपये,

3. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का डीएलएफ अंकुर विहार स्थित आवासीय फ्लैट 57.59 वर्ग मीटर कीमत करीब 30 लाख रुपये,

4. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का गिरी मार्किट सहारनपुर रोड स्थित आवासीय / व्यवसायिक भवन 250 वर्ग गज कीमत करीब 01.10 करोड

रुपये,

5. अभियुक्त विजय कुमार उर्फ डालू का आर्य नगर स्थित आवासीय भवन 150 वर्ग गज कीमत करीब 70 लाख रुपये,

6. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू का इन्द्रा मार्किट लोनी स्थित आवासीय आवासीय भवन 71.06 वर्ग मीटर कीमत करीब 01.17 करोड रुपये,
7. अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू की कार महिन्द्रा थार कीमत करीब 1637986/- रुपये,
8. अभियुक्त विजय कुमार उर्फ डालू की कार स्कार्पियों कीमत करीब 1783906/- रुपये,

<u>कार्यवाही करने वाली टीम-</u>

ग्रामीण जोन पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।